



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण , 1943 (श०)

संख्या-605 राँची, मंगलवार,

7 दिसम्बर, 2021 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अल्प संशोधित संकल्प

6 दिसम्बर, 2021

संख्या-02/कृ०गो०रा०(कोर्ट केस)-23/2019--विभागीय संकल्प संख्या-1444 दिनांक-20-08-2020 द्वारा श्री मदन मोहन जयसवाल, तत्कालीन भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, देवघर संप्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध तालाब जीर्णोद्धार एवं डोभा निर्माण योजना के कार्यान्वयन में बरती गयी वित्तीय आनियमितता तथा भ्रष्टाचार से संबन्धित गंभीर आरोपों के विरुद्ध श्री गौरी शंकर मिंज (सेवानिवृत्त भा०प्र०से०), विभागीय जांच पदाधिकारी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं श्री गुलाम सरवर, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री गुलाम सरवर, अवर सचिव का स्थानांतरण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में हो गया है, विभागीय संकल्प संख्या-1444 दिनांक-20-08-2020 में अल्प संशोधित करते हुए श्री मदन मोहन जयसवाल, तत्कालीन भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, देवघर संप्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री गुलाम सरवर, तत्कालीन अवर सचिव के स्थान पर श्री पंकज कुमार, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

प्रस्तोता पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि ससमय विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष विभाग का पक्ष रखना सुनिश्चित किया जाय ।

2. विभागीय संकल्प संख्या-1444 दिनांक-20-08-2020 की शेष कंडिका यथावत रहेंगी ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री पंकज कुमार, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आनंदमय बनर्जी,
सरकार के अवर सचिव ।
